

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनूलोक अदालत /कैम्प कोर्ट सूरेवाला)

1. जसवीर सिंह } पि० दीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सन सिटी कालोनी,
2. कुलवन्त सिंह } हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. अपनीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता जसवीर सिंह पुत्र दीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सन सिटी कालोनी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. अंशुमान सिंह } पि० कुलवन्त सिंह नाबालिगान जरिये कुदरती वली पिता कुलवन्त सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सन सिटी कालोनी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ टाउन।
5. गुरसिदक सिंह }

-वादीगण

बनाम

1. सुन्दर कौर पत्नी दीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सन सिटी कालोनी, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. हरसेन सिंह } पि० दीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सन सिटी कालोनी,
3. जन्तवत सिंह } हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. ज्ञानप्रोत कौर पुत्री दीप सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

कारण संख्या:-202/2018

प्रपत्र अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

दिनांक:-25.6.2018



वादी की ओर से श्री बलविन्द्रसिंह थिंद एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजजीतसिंह एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.6.2018 को न्यायसिंह रतनूलोक अदालत, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर परामर्श किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-1 एस.आर.डब्ल्यू, 2 एस.आर.डब्ल्यू एवं 3 एस.आर.डब्ल्यू में हम पक्षकारान के नाम से दर्ज है जिसका आपस में निम्नानुसार राजीनामा हुआ है। मुताबिक राजीनामा हम पक्षकारान को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई है:-

(क)-वादी सं.1 जसवीर सिंह को प्राप्त भूमि-चक नं. 2 एस.आर.डब्ल्यू के खाता संख्या 99/112 में प.नं. 221/271 मु.नं. 29 कि.नं. 20, 21/0.506 है0 प.नं. 220/272 मु.नं. 34 कि.नं.1 ता 6, 14 ता 20 कुल 3.137 है0 चक 2 एस.आर.डब्ल्यू के खाता सं 204/199 की प्रतिवादी सं. 3 के नाम से दर्ज 1 हिस्सा अर्थात .253 है.कृषि भूमि वादी सं0 1 को, चक 1 एस.आर.डब्ल्यू के खाता सं0 85/74 में प्रतिवादी सं0 3 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में .146 है. कृषि भूमि वादी सं0 1 को, चक 1 एस.आर.डब्ल्यू के खाता सं0 93/88 में प्रतिवादी सं0 2 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में .709 है.कृषि भूमि वादी सं0 1 को तथा चक 1 एस.आर.डब्ल्यू के खाता सं0 105/112 में प्रतिवादी सं0 3 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से .043 है. व वादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से .041 है कृषि भूमि वादी सं.1 को प्राप्त हुई।

(ख)-वादी सं0 2 कुलवन्त सिंह को प्राप्त भूमि-चक नं.2 एस.आर.डब्ल्यू खाता संख्या 99/112 प.नं.221/272 (33)10.11/0.506 है0.प.नं.220/273 (45) 4, 5,6,15/0.962 है0,चक 2 एस.आर.डब्ल्यू खाता सं0 127/120 में वादी सं0 1 के नाम से दर्ज .043 है.भूमि वादी सं0 2 को, चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता सं0 105/112 में वादी सं0 2 को .010 है. भूमि, चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता सं0 85/74 में प्रतिवादी सं0 3 के नाम सं0 226/273 मु.नं 42 के किला सं0 13/2/.152 है. कृषि भूमि में से .006 है.कृषि भूमि वादी सं0 2 को चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता सं0 94/87 में

- प्रतिवादी स० 3 के नाम से दर्ज .620 है.में से .090 है. कृषि भूमि वादी स० 2 को प्राप्त हुई है।
- (ग) वादी स० 3 अपनीत सिंह को प्राप्त भूमि:- चक न० 2 एस.आर.डब्ल्यू खाता संख्या 99/112 प.नं. 220/272 (34) कि.नं. 7 ता 10,12,13 कुल 1.518 है।
- (घ) वादी स० 4 अंशुमान सिंह को प्राप्त भूमि:- 2 एस.आर.डब्ल्यू खाता संख्या 99/112 प.नं. 220/272 (34) कि.नं. 23,24,25/0.721 है० व 2 एस.आर.डब्ल्यू खाता संख्या 91/198 प.नं.220/273 (45) कि.नं.1/.253 है०,प.नं.219/273 (44) कि.नं. 5, 6/2 कुल .380 है०
- (ङ) वादी स० 5 गुरसिदक सिंह को प्राप्त भूमि:-चक नं. 2 एसआरडब्ल्यू खाता संख्या 99/112 प.नं. 221/273 (46) कि.नं. 1,10,11,20 कुल 1.012 है. व चक 2 एस. आर.डब्ल्यू खाता स० 147/43 की वादी स० 1 के नाम से दर्ज .184 है.व प्रतिवादी स० 1 के नाम से दर्ज .253 हैक्टेयर कुल 0.437 है. भूमि वादी स० 5 को प्राप्त हुई है।
- (च) प्रतिवादी स० 1 महेन्द्र कौर को प्राप्त भूमि:-चक 3 एस.आर.डब्ल्यू खाता स० 60/60 में दीपसिंह के नाम से दर्ज चक 14/15 हिस्सा अर्थात 0.472 है. भूमि प्रतिवादी स० 1 को,चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता स० 106/97 में दीपसिंह का 1/5 हिस्सा अर्थात .405 है. भूमि प्रतिवादी स० 1 को,चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता स० 105/112 में दीपसिंह के नाम से दर्ज चक 1/5 हिस्सा अर्थात .051 है.भूमि प्रतिवादी स० 1 को व चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता स० 93/88 में तरसेमसिंह के नाम से दर्ज भूमि में से 1.062 है. भूमि प्रतिवादी स० 1 को प्राप्त हुई है।
- (छ) प्रतिवादी स० 2 तरसेम सिंह को प्राप्त भूमि:-चक 1 एस.आर.डब्ल्यू के खाता स० 94/87 में जसवन्त सिंह के नाम से दर्ज 0.620 है.भूमि में से 0.461 है.भूमि प्रतिवादी स. 2 को प्राप्त हुई है।
- (ज) प्रतिवादी स० 3 जसवंत सिंह को प्राप्त भूमि:-चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता स० 94/87 में प्रतिवादी स० 3 को .069 है.भूमि व चक 1 एस.आर.डब्ल्यू खाता स० 105/112 में प्रतिवादी स० 3 को .008 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है।

उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। पक्षकारों का उपर्युक्तानुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 25.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत सूरेवाला में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(उम्मेद सिंह रतनू)
 पीठासीन अधिकारी,
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कौलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रूपया		रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/--	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/--	जोड़	0